जयलक्ष्मी कोएल्हो

बनाम

ओसवाल्ड जोसेफ कोल्हो

28 फ़रवरी 2001

[ब्रिजेश कुमार, डी.पी.महापात्रो]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

खंड 152-निर्णयों, फरमानों या आदेशों का संशोधन-अंतर्निहित शक्तियों का दायरा, सुधार की शक्ति केवल लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची या अदालत के आदेश या डिक्री की ओर से चूक तक ही सीमित है, जिसमें कुछ ऐसा होना चाहिए या छोड़ना चाहिए जो अन्यथा होने का इरादा था-गलती के इस तरह के सुधार के लिए आवश्यक गुण-दोष पर कोई नया तर्क या पुनः तर्क नहीं।

आपसी सहमति से तलाक के लिए पक्षों के बीच डिक्री-समझौते में सुधार-याचिका दायर की गई-तलाक के लिए केवल डिक्री की प्रार्थना की गई-डिक्री बाद में दी गई,

पति समझौते के संदर्भ में राहत मांगने में विफलता के लिए डिक्री के सुधार के लिए आवेदन दायर कर रहा है-आवेदन में केवल अनिवार्य निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई है-समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने के लिए याचिका या आवेदन में कोई प्रार्थना नहीं की गई है-अदालत-क्षेत्र द्वारा किसी भी आकस्मिक पर्ची या चूक के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है, डिक्री के सुधार के लिए तथ्य आवेदन के तहत गलत धारणा और खारिज होने योग्य है।

अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी-पति ने अपनी आपसी सहमति से विवाह को भंग करने के लिए दिनांक 26.7.1991 पर एक समझौता किया जिसमें उनकी संपत्तियों और बच्चे की अभिरक्षा आदि से संबंधित अन्य मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने वाले खंड भी शामिल थे। समझौते के अनुसार, जिस फ्लैट में पक्ष कुछ नियमों और शर्तों के तहत रह रहे थे, उसे पत्नी द्वारा पति के नाम से हस्तांतरित किया जाना था।इसके बाद, पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर की गई जिसमें राहत का दावा विशेष रूप से केवल तलाक के लिए डिक्री के लिए किया गया था जिसे परिवार न्यायालय द्वारा दिया गया था।इसके बाद, प्रत्यर्थी ने इस आधार पर संशोधन या डिक्री के लिए एक आवेदन दायर किया कि सामान्य व्यक्ति होने के नाते पक्षकारों ने पहले के डिक्री को पारित करते समय दिनांकित समझौते के संदर्भ में अनुरोध करने के लिए कहा और उक्त समझौते के आधार पर अनुदान या अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की।परिवार न्यायालय ने संशोधित डिक्री में सभी खंडों या दिनांकित 26.7.1991 समझौते को सम्मिलित करते हुए संशोधन और संशोधित डिक्री के लिए आवेदन की अनुमति दी।

अपीलार्थी-पत्नी ने परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की, जिसमें पहले के आदेश में संशोधन किया गया था, जिसे एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और खण्ड पीठ द्वारा अपील में पुष्टि की गई थी।खण्ड पीठ के फैसले से व्यथित पत्नी ने वर्तमान अपील दायर की है।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1.खंड 152 सी. पी. सी. के संदर्भ में, अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची के कारण डिक्री में होने वाली कोई भी त्रुटि वह अदालत को सुधार सकता है।इस प्रावधान के पीछे का सिद्धांत यह है कि किसी भी पक्ष को अदालत की

गलती के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए और डिक्री का आदेश पारित करते समय अदालत का जो भी इरादा है, वह उसमें ठीक से प्रतिबिंबित होना चाहिए, अन्यथा यह केवल न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के सिद्धांत के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए, एक अनजाने में हुई गलती या न्यायालय जो किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण बन सकता है, उसे ठीक किया जाना चाहिए।[215-ई-एफ]

1.2.ऐसी अंतर्निहित शक्तियाँ आम तौर पर सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध होंगी, भले ही इस तथ्य की परवाह किए बिना कि खंड 152 सी. पी. सी. के तहत निहित प्रावधान किसी विशेष कार्यवाही पर सख्ती से लागू हो सकते हैं या नहीं।ऐसे मामले में जहां यह स्पष्ट है कि कुछ ऐसा जो न्यायाधीशालय करने का इरादा रखता था, लेकिन वह गलती से फिसल गया था या लिपिक या अंकगणितीय गलती के कारण कोई गलती हो जाती है, यह केवल न्यायाधीश के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा ताकि न्यायाधीशालय ऐसी गलती को सुधार सके।लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले न्यायालय को कानूनी रूप से संतुष्ट होना चाहिए और एक वैध निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

कि आदेश या डिक्री में कुछ ऐसा है जो उसके लिए अन्यथा अभिप्रेत था, अर्थात डिक्री पारित करते समय अदालत को अपने दिमाग में होना चाहिए कि आदेश या डिक्री को उसे एक विशेष तरीके से पारित करना चाहिए, लेकिन उस इरादे को लिपिक, अंकगणितीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची के कारण डिक्री या आदेश में अनुवादित नहीं किया जाता है।तथ्य और परिस्थितियाँ इस तथ्य को संकेत प्रदान कर सकती हैं कि इसका क्या उद्देश्य था

न्यायालय, लेकिन अनजाने में, आदेश या निर्णय में इसका उल्लेख नहीं मिलता है या कुछ ऐसा है जिसका वहां होने का इरादा नहीं था, जो इसमें जोड़ा गया है।

लिपिकीय, अंकगणितीय त्रुटियों या आकस्मिक पर्ची के सुधार की शक्ति अदालत को इस मामले पर दूसरा विचार करने और यह पता लगाने के लिए सशक्त नहीं करती है कि एक बेहतर आदेश या डिक्री पारित की जा सकती है या की जानी चाहिए।वहाँ उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मामले के गुण-दोषों पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए था कि बेहतर होता और चीजों की योग्यता में एक आदेश पारित किया जाता जैसा कि उन्होंने सुधार पर कहा था।दूसरे विचार पर अदालत यह पा सकती है कि उसने कुछ शर्तों में एक आदेश पारित करने में गलती की हो सकती है, क्योंकि ऐसी हर गलती खंड 152 सी. पी. सी. के तहत निहित अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे सुधारने की अनुमति नहीं देती है।(217-बी-एफ)

आई. एल. जानकीराम अय्यर अन्य अन्य आदि।v. पीएम। नीलकांतलियर, आकाशवाणी (1962) एससी 633; भीखी लाल और अन्य. वी.1एचबेनी और अन्य, ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 1935 और मास्टर कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड बनाम। उड़ीसा और आम राज्यः, इसके बाद ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1047 आया।

बिहार और चींटी राज्यःv. नीलमणि साहू और चींटीः, (1996) 11 एस. सी. सी. 528; बाई शकरीबेन (मृत) नटवर मेलसिंह और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और आमः, (1996] 4 एस. सी. सी. 533 और द्वारकादास बनाम एम. पी. और ए. एन. आर. राज्य, (1999) 3 एस. सी. सी. 500 पर भरोसा किया गया।

असम चाय निगम लिमिटेड बनामनारायण सिंह और आमः, आकाशवाणी (1981) गुवाहाटी 41, अनुमोदित।

2. विवाह के विघटन के लिए मुख्य याचिका के पैराग्राफ 8 में यह कहा गया है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते को तदनुसार मामले में आदेश पारित करते समय याचिका का हिस्सा माना जा सकता है।हालाँकि याचिका में दावा की गई राहत इंगित

करती है कि विशेष रूप से केवल तलाक के लिए आदेश के लिए प्रार्थना की गई थी।इस आशय का कोई अनुरोध नहीं था कि समझौते को डिक्री का हिस्सा बनाया जा सकता है या समझौते में दिए गए नियमों और शर्तों को डिक्री में शामिल किया जा सकता है। याचिका दस्तावेज़ का जो भी हिस्सा बनता है, वह स्वचालित रूप से डिक्री का हिस्सा नहीं बन जाता है जब तक कि विशेष रूप से ऐसा प्रदान नहीं किया जाता है।डिक्री पारित करते समय ही इसे ध्यान में रखा जा सकता है।[219-ई; 218-बी-सी]

3. डिक्री के संशोधन के लिए अपने आवेदन के पैराग्राफ 3 में प्रतिवादी-पति का मामला यह था कि पक्षकार वकीलों की सहायता के बिना सामान्य व्यक्ति होने के नाते तलाक के लिए याचिका के अपने प्रार्थना खंड में समझौते के अनुसार राहत मांगने में विफल रहे थे।डिक्री के संशोधन के लिए आवेदन में अनजाने में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है जिसके कारण अदालत ने डिक्री में उन शर्तों को शामिल नहीं किया हो। संशोधन के लिए आवेदन में यह नहीं कहा गया है कि अदालत फ्लैट के हस्तांतरण के बारे में आदेश पारित करना चाहती थी या करना चाहती थी, लेकिन किसी लिपिकीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची के कारण ऐसा आदेश नहीं दिया गया था।यह केवल मामले में सुधार करने का प्रयास है जैसा कि प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन में किया है।डिक्री के संशोधन के लिए आवेदन में की गई प्रार्थना विभिन्न प्रकृति और विभिन्न शब्दों में अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश देने के लिए है। डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने के लिए इसमें कोई प्रार्थना नहीं है। इसलिए यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में वह कह सकते हैं कि इसे पहले गलती से छोड़ दिया गया था।[219-ए-बी]

4. अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि परिवार न्यायालय ने डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने का इरादा किया था।यह एक अलग मामला होता अगर यह दिखाया जाता कि न्यायालय उन शर्तों को शामिल

करने का इरादा रखता है लेकिन गलती से यह फिसल गया या अदालत ऐसा करना भूल गई।लेकिन ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर पारिवारिक न्यायालय के इरादे का अनुमान लगाया जा सके।तलाक की डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को निगमित करना, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अदालत द्वारा जो कुछ भी इरादा किया गया था, वह डिक्री में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता था।फरमान में दिए गए कथन में समझौते के ज्ञापन के बारे में एक फुसफुसाहट भी नहीं है।डिक्री के सुधार के लिए आवेदन पूरी तरह से गलत था और समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने के बजाय केवल खारिज करने के लिए उत्तरदायी था।

जिसे संशोधन के लिए आवेदन में या विवाह के विघटन के लिए मूल याचिका में कोई अनुरोध नहीं किया गया था, विशेष रूप से जब आवेदन में न्यायालय की ओर से कोई आकस्मिक पर्ची का संकेत नहीं दिया गया था और न ही इसकी पुष्टि की जा रही थी।[219-एच; 220-ए; एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल याचिका सं 3609/1998

उच्च न्यायालय बॉम्बे के एल. पी. ए. सं. 204 में 1997 के डब्ल्यू. पी. सं. 529 मे निर्णय और आदेश दिनांकित 17.2.98 से ।

सुश्री इंद्रा जयसिंह, सुश्री वनिता भार्गव, राखी रे, सुश्री बीना के लिए

गुप्ता, अपीलकर्ता के लिए।

उत्तरदाता की ओर से ए. एस. भासमे और जे. मनोज कुमार।

न्यायालय का निर्णय बृजेश कुमार, जे. द्वारा दिया गया था

यह अपील 17 फरवरी, 1998 के निर्णय और आदेश के खिलाफ की गई है, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 1997 की लेटर्स पेटेंट अपील No.204 में पारित किया था।प्रधान न्यायाधीश की अदालत, परिवार न्यायालय, बॉम्बे

ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया, जिसे एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।खण्ड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश ने अपीलकर्ता को शिकायत का कारण देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की।इसलिए, वर्तमान अपील।

हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंद्रा जयसिंह और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए. एस. भास्मे को सुना है।

अपीलकर्ता जयलक्ष्मी कोएल्हो और प्रतिवादी ओस्वाल्ड जोसेफ कोएल्हो ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अनुसार 6 जनवरी, 1977 को शादी की।उक्त विवाह में से एक कन्या नीशा ऐनी कोएल्हो का जन्म 1 अगस्त, 1978 को हुआ था।हालाँकि, बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता और उसके पति के बीच मतभेद पैदा हो गए, अंततः, पक्षकार अपनी शादी को भंग करने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने 26 जुलाई, 1991 को उस प्रभाव के लिए एक समझौता किया।समझौते में कहा गया है कि उनके लिए अब पति और पत्नी के रूप में रहना असंभव हो गया था, इसलिए उन्होंने आपसी सहमति से शादी को भंग करने का फैसला किया था।उन्होंने समझौते में बताए अनुसार अपनी संपत्तियों और बच्चे की अभिरक्षा आदि से संबंधित अन्य मुद्दों को भी सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया था।

समझौते के अनुसार, जिस फ्लैट में पक्षकार कुछ नियमों और शर्तों पर पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे, उसे पत्नी द्वारा पति के नाम पर स्थानांतरित किया जाना था।गहने, आभूषण, बर्तन, व्यक्तिगत सामान आदि से संबंधित अन्य मामलों का भी समझौते में उल्लेख किया गया था।इसमें बेटी की अभिरक्षा का भी उल्लेख किया गया है।

आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की खंड 28 के तहत बांद्रा, बॉम्बे में परिवार न्यायालय में 21.8.1991 पर दायर की गई थी।आपसी तलाक के लिए याचिका में किए गए अन्य कथनों के अलावा, पैराग्राफ 8 में यह उल्लेख किया गया था कि मोन-बिजौ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट No.11 को दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 1976 में अपने स्वयं के धन से खरीदा गया था।हालाँकि यह अपीलकर्ता के नाम पर था, फिर भी उसे 26 जुलाई, 1991 को पहले हुए समझौते के अनुसार प्रतिवादी, अर्थात् पति के पक्ष में उक्त फ्लैट में अपना अधिकार, अधिकार और हित छोड़ना था।इसके बाद, यह उल्लेख किया गया कि समझौते के ज्ञापन को तलाक याचिका के हिस्से के रूप में माना जा सकता है और तदनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिए।

हालाँकि, याचिका के पैराग्राफ 14 में, केवल निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना की गई थीः-

(क) याचिकाकर्ताओं के बीच बॉम्बे में 6 जनवरी, 1977 को संपन्न विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया जाए;

(ख) ऐसी अन्य राहतें जो यह माननीय न्यायालय उचित सोचे और उचित समझे।

परिवार न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दियाः-

डी.ई.सी.आर.ई.ई

बम्बई के पारिवारिक न्यायालय में

याचिका सं 1991 का एए-1221

जयलक्ष्मी कोएल्हो

नं. 2 लक्ष्मी भवन में रहते हुए,

माटुंगा, बॉम्बे। याचिकाकर्ता संख्या 1

और

ओस्वाल्ड जोसेफ कोएल्हो

No.11, सोम-बिजौ में रहते हैं।

चिंबाई रोड, बांद्रा बॉम्बे। याचिका सं. 2

1. जयलक्ष्मी कोएल्हो और ओस्वाल्ड जोसेफ कोएल्हो ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की खंड 23 के तहत यह संयुक्त याचिका दायर की है।

2. याचिकाकर्ता जयलक्ष्मी और ओस्वाल्ड के बीच विवाह 6 जनवरी 1977 को बॉम्बे में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत हुआ था।इसके बाद वे बांद्रा में एक साथ रहने लगे।बेटी नीशा ऐनी कोएल्हो के जन्म से भी उनका वैवाहिक जीवन फलदायी रहा, जिसका जन्म 1 अगस्त 1978 को हुआ था।लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बाद दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए और जुलाई 1986 में जयलक्ष्मी वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गईं।दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया।

3. यह याचिका 7.3.1992 पर श्री एस. डी. पंडित, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बांद्रा के समक्ष आ रही है।याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 की उपस्थिति में मुकदमा चलाया जाता है।

आदेश

याचिकाकर्ता जयलक्ष्मी और ओस्वाल्ड के बीच विवाह आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

प्रत्यर्थी, अर्थात् पति ने सहमति डिक्री पारित करने के बाद, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 30 जून, 1992 को एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि 7 मार्च, 1992 को पक्षों को आपसी सहमति से डिक्री दी गई थी, लेकिन आदेश अन्य राहतों पर चुप रहा जो समझौते में और फ्लैट No.11, मोन-बिजौ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, 60-डी, चिंबाई रोड, बॉम्बे के हस्तांतरण से संबंधित याचिका के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित थे।दिनांकित 26.7.91 समझौते के अनुसार, फ्लैट को पत्नी को रुपये 1,70,000 के भुगतान पर पति के नाम पर हस्तांतरित किया जाना था।लेकिन उक्त प्रार्थना उस कारण से नहीं की गई थी जैसा कि डिक्री के संशोधन के लिए याचिका के पैराग्राफ 3 में नीचे बताया गया हैः-

> "मैं कहता हूं कि हालांकि इन सभी कथनों और तथ्यों को रिकॉर्ड में रखा गया था, याचिका में, दोनों याचिकाकर्ता सामान्य व्यक्ति होने के नाते, और किसी भी वकील की सहायता के बिना इस माननीय न्यायालय में पेश होने के कारण, अपनी प्रार्थना खंडों में उक्त समझौते के अनुसार राहत मांगने में विफल रहे।नतीजतन, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश उन राहतों पर चुप रहा।''

यह नहीं कहा गया है कि अदालत फ्लैट के हस्तांतरण के बारे में आदेश पारित करना चाहती थी या करना चाहती थी, लेकिन किसी लिपिकीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची के कारण ऐसा आदेश नहीं दिया गया था।इसके बाद, संशोधन के लिए आवेदन में, इस आशय का दावा किया गया है कि प्रतिवादी, अर्थात् पति, पहले भुगतान की गई

10,000 रुपये की शेष राशि का भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता से संपर्क कर रहा था, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से इसे स्वीकार नहीं कर रही थी और वह किसी अन्य व्यक्ति को फ्लैट बेचने की कोशिश कर रही थी।इसलिए, आवेदन के पैरा 10 में निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए आवेदन दायर करना आवश्यक हो गया थाः-

> "(क) कि यह माननीय न्यायालय अपने आदेश और डिक्री को संशोधित करने के लिए प्रसन्न होगा।7 मार्च, 1992 में एम. जे. याचिका No.AA 1221/91 में निम्नलिखित प्रार्थनाओं को शामिल करके और प्रदान करकेः-
>
> (1) कि विपक्षी (मूल याचिकाकर्ता संख्या 1) को फ्लैट No.11, मोन-बिजौ को-ऑप को स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा निर्देशित किया जाए।एचएसजी। सोसायटी चिंबाई रोड, बांद्रा, बॉम्बे 400 050, याचिकाकर्ता संख्या 2 के नाम पर रु। 26 जुलाई, 1991 के समझौते के ज्ञापन के अनुसार 1,60,000-, (केवल एक लाख साठ हजार रुपये)।
>
> (2) कि विपक्षी मूल याचिकाकर्ता संख्या 1 को कथित फ्लैट No.11, मोनबिजौ को-ऑप से खुद को और उसके सामान को हटाने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा निर्देशित किया जाए। एचएसजी। सोसायटी, चिंबाई रोड, बांद्रा 400 050, तुरंत;
>
> (3) कि यह घोषित किया जाए कि नाबालिग बच्चे नीशा एनी कोएल्हो की अभिरक्षा आवेदक पति को दी गई है।

(ख) इस आवेदन की सुनवाई और अंतिम निपटान तक, याचिकाकर्ता संख्या 1 को याचिकाकर्ता संख्या 2 को परेशान करने से निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा प्रतिबंधित किया जाए, जो कि फ्लैट No.11, मोन-बिजोउ को-ऑप का शांतिपूर्ण कब्जा है।एचएसजी। सोसायटी चिंबाई रोड, बांद्रा, बॉम्बे 400 050।

(ग) कि इस आवेदन प्रतिद्वंद्वी मूल याचिकाकर्ता संख्या 1 की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित होने पर उक्त फ्लैट No.11, सोम-बिजौ को-ऑप में किसी भी तीसरे भाग के अधिकार के कब्जे के साथ विभाजन को बेचने या बनाने से निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा प्रतिबंधित किया जाए।एचएसजी। सोसायटी, चिंबाई रोड, बांद्रा, बॉम्बे 400 050।

(घ) प्रार्थना (ख) और (ग) के संदर्भ में अंतरिम और अंतरिम आदेश।

(ई) इस आवेदन की लागत के लिए।

(च) कोई अन्य आदेश जो यह माननीय न्यायालय मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में उपयुक्त समझता है।''

आवेदन का विरोध किया गया और जवाब में एक शपथ पत्र अपीलार्थी-पत्नी द्वारा दायर किया गया।उनके अनुसार, प्रत्यर्थी-पति द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया गया था और यह आरोप कि भुगतान के लिए कोई भी मसौदा तैयार किया गया था और अपीलकर्ता को भेजा गया था, गलत और गलत था।फ्लैट के स्वामित्व आदि के बारे में जवाब में किए गए अन्य सभी कथनों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।इस बात से भी इनकार किया जाता है कि वकीलों की अनुपस्थिति में में कोई बाधा थी, क्योंकि पक्षकार काफी शिक्षित हैं।हालाँकि, उत्तर में यह भी प्रस्तुत

किया गया था कि समझौते के ज्ञापन के निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर पति-प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी-पत्नी को रुपये का भुगतान किया जाना था।समझौता 26.7.1991 पर किया गया था और समझौते के लगभग 7 से 8 महीने बाद 7.3.1992 पर तलाक की डिक्री दी गई थी, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया था।कई अन्य दलीलें उठाते हुए, उन्होंने आवेदन को अस्वीकार करने के लिए प्रार्थना की।

परिवार न्यायालय ने, उपरोक्त आवेदन पर, संशोधित डिक्री में समझौते के सभी खंडों (1) से (11) को सम्मिलित करते हुए डिक्री में संशोधन करते हुए एक आदेश पारित किया।डिक्री के संशोधन का आदेश पहले 7.3.1992 पर पारित डिक्री के बारे में बताता है और संशोधन को यह बताता हैः-

> "एतद्द्वारा यह आदेश और आदेश दिया जाता है कि समझौते के ज्ञापन में शामिल सहमति की शर्तों को, जो याचिका का हिस्सा और अंश है, शर्त संख्या 1 से शर्त No.11 तक डिक्री में शामिल किया जाए''

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिक्री में समझौते की शर्तों को शामिल करने के लिए आवेदन में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।प्रार्थना अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए थी।

जहाँ तक कानूनी स्थिति का संबंध है, इस प्रस्ताव के बारे में शायद ही कोई संदेह होगा कि खंड 152 सी. पी. सी. के संदर्भ में, अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची के कारण डिक्री में हुई किसी भी त्रुटि को अदालत द्वारा ठीक किया जा सकता है।इस प्रावधान के पीछे का सिद्धांत यह है कि किसी भी पक्ष को अदालत की गलती के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए और आदेश या डिक्री पारित करते समय अदालत का जो भी इरादा है, वह उसमें ठीक से प्रतिबिंबित होना चाहिए, अन्यथा यह

केवल न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के सिद्धांत के लिए विनाशकारी होगा।इस मुद्दे पर निम्नलिखित मामलों का संदर्भ दिया जा सकता हैः

खंड 152 सी. पी. सी. के तहत प्रावधान का आधार उक्ति "एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट" पर पाया जाता है, अर्थात न्यायालय का एक कार्य किसी व्यक्ति (जेन्क सेंट-118) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जैसा कि ए. आई. आर. 1981 गुवाहाटी 41, द असम टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम नारायण सिंह और अन्य में दर्ज एक मामले में देखा गया है।इसलिए, न्यायालय की एक अनजाने में हुई गलती जो किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण बन सकती है, उसे ठीक किया जाना चाहिए।ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 633 आई. एल. जानकीराम अय्यर और अन्य आदि में दर्ज एक अन्य मामले में।बनाम पी. एम. नीलकांत अय्यर यह पाया गया कि गलती से शुद्ध लाभ शब्द को डिक्री में मेसन लाभ के स्थान पर लिखा गया था।निर्णय के पहले भाग को देखने पर यह गलती स्पष्ट पाई गई।गलती को अनजाने में माना गया था।भीखी लाल और अन्य बनाम त्रिबेनी और अन्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1935 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक डिक्री जो निर्णय के अनुरूप थी, उसे ठीक नहीं किया जा सकता था।ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1047 मास्टर कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और एक अन्य मामले में यह देखा गया है कि अंकगणितीय गलती गणना की गलती है, लिपिकीय गलती लेखन या टाइपिंग में गलती है जबकि आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न या होने वाली त्रुटि अदालत की ओर से लापरवाही से हुई गलती के कारण एक त्रुटि है जिसे ठीक किया जा सकता है।इस बात को स्पष्ट करने के लिए, यह एक उदाहरण के रूप में इंगित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां आदेश में कुछ ऐसा हो सकता है जिसका डिक्री में उल्लेख नहीं है, वह अनजाने में चूक या गलती का मामला होगा।इस तरह की चूक के लिए न्यायालय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो कुछ कह सकता है या कुछ ऐसा कहना छोड़ सकता

है जिसे कहने या छोड़ने का उसका इरादा नहीं था।गलती के इस तरह के सुधार के लिए गुण-दोष पर किसी नए तर्क या पुनः तर्क की आवश्यकता नहीं है।(1999) 3 एस. सी. सी. 500 द्वारकादास बनाम एम. पी. राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए एक मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश या डिक्री में सुधार गलती या चूक का होना चाहिए जो आकस्मिक है और मामले के गुण-दोष में गए बिना जानबूझकर नहीं किया गया है।यह भी देखा गया है कि प्रावधानों को मूल डिक्री की शर्तों को संशोधित करने, बदलने या जोड़ने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है ताकि मामले में फैसले के बाद प्रभावी न्यायिक आदेश पारित किया जा सके।निचली निचली अदालत ने वाद में इस तरह का अनुरोध किए जाने के बावजूद ब्याज विचाराधीन राशि को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन खंड 152 सी. पी. सी. के तहत दायर एक आवेदन पर निर्णय और डिक्री को इस आधार पर सही करमुकदमेबाजी का इंतजार विचाराधीन राशि का फैसला सुनाया गया था कि ब्याज विचाराधीन राशि का भुगतान न करना एक आकस्मिक चूक थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय आदेश को निरस्त करने में सही था।न्यायालयों द्वारा अपने दायरे से परे खंड 152 सी. पी. सी. के तहत प्रावधानों के उदार उपयोग की निंदा की गई है।उपरोक्त दृष्टिकोण को लेते हुए इस न्यायालय ने तिरुग्नानवल्ली अम्मल बनाम पी. वेणुगोपाल पिल्लई ए. आई. आर. 1940 मद्रास 29 में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी दी थी और ए. आई. आर. 1937 अवध 191 में महाराज पुट्टू लाल बनाम श्रीपाल सिंह पर भरोसा किया थाःआईएलआर 12 लखनऊ 759।इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा (1996) 11 एस. सी. सी. 528 बिहार राज्य और एक अन्य बनाम नीलमणि साहू में रिपोर्ट किए गए एक मामले में लिया गया है और एक अन्य मामले में जहां न्यायालय ने मामले पर फिर से विचार करने पर अंकगणितीय गलती की आड़ में एक नए निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पेड़ों की संख्या और उस मामले में उनके मूल्यांकन के बारे में जो पहले ही

अंतिम रूप से तय किए जा चुके थे।इसी तरह नटवर मेलसिंह और अन्य द्वारा बाई शाकरीबेन (मृत) बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और (1996) 4 एस. सी. सी. 533 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में इस न्यायालय ने पाया कि खंड 23 (1-ए) के तहत अतिरिक्त राशि के अधिनिर्णय में चूक, खंड 28 के तहत बढ़े हुए ब्याज और ऋण राशि आदि को आदेश में लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है।जैसा कि ऊपर बताया गया है, राशि प्रदान करने में डिक्री के संशोधन के लिए आवेदन को कानून में गलत माना गया था।

वास्तव में ऐसी अंतर्निहित शक्तियाँ आम तौर पर सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध होंगी, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि खंड 152 सी. पी. सी. के तहत निहित प्रावधान किसी विशेष कार्यवाही पर सख्ती से लागू हो सकते हैं या नहीं।ऐसे मामले में जहां यह स्पष्ट है कि कुछ ऐसा जो न्यायाधीशालय करने का इरादा रखता था, लेकिन वह गलती से फिसल गया था या लिपिक या अंकगणितीय गलती के कारण कोई गलती हो जाती है, यह केवल न्यायाधीश के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा ताकि न्यायाधीशालय ऐसी गलती को सुधार सके।लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले न्यायालय को कानूनी रूप से संतुष्ट होना चाहिए और एक वैध निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आदेश या डिक्री में कुछ ऐसी चीज शामिल है या छोड़ दी गई है जिसका उद्देश्य अन्यथा होना था, अर्थात डिक्री पारित करते समय न्यायालय को अपने दिमाग में होना चाहिए कि आदेश या डिक्री को एक विशेष तरीके से पारित किया जाना चाहिए, लेकिन उस इरादे को लिपिक, अंकगणितीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची के कारण डिक्री या आदेश में अनुवादित नहीं किया जाता है।तथ्य और परिस्थितियाँ इस तथ्य का संकेत दे सकती हैं कि न्यायालय का क्या इरादा था, लेकिन अनजाने में आदेश या निर्णय में इसका उल्लेख नहीं मिलता है या कुछ ऐसा है जो इसमें जोड़ा गया था।लिपिकीय, अंकगणितीय त्रुटियों या आकस्मिक पर्ची को सुधारने की

शक्ति अदालत को इस मामले पर दूसरा विचार करने और यह पता लगाने के लिए सशक्त नहीं करती है कि एक बेहतर आदेश या डिक्री passed There हो सकती है या होनी चाहिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मामले के गुण-दोष पर फिर से विचार नहीं किया जाना चाहिए कि यह बेहतर होता और चीजों की योग्यता में सुधार पर पारित किए जाने वाले आदेश को पारित करना बेहतर होता।दूसरे विचार पर अदालत यह पा सकती है कि उसने कुछ शर्तों में एक आदेश पारित करने में गलती की हो सकती है, लेकिन ऐसी हर गलती खंड 152 सी. पी. सी. के तहत निहित अदालत की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में उसके सुधार की अनुमति नहीं देती है।

अब तक विद्वान एकल न्यायाधीश और माननीय खण्ड पीठ द्वारा अपने एल. पी. ए. अधिकार क्षेत्र में मामले का निर्णय लेने के लिए जिस कानूनी प्रस्ताव पर भरोसा किया गया है, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं, यानी एक अनजाने में हुई गलती जो दुर्घटनावश पर्ची के कारण हुई थी, उसे ठीक करना होगा।हालाँकि, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय की ओर से कोई लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची थी या नहीं।

इस प्रकार मामले के तथ्यों पर आते हुए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विवाह के विघटन के लिए मुख्य याचिका के पैराग्राफ 8 में यह कहा गया है कि 26.7.91 पर पक्षों के बीच हुए समझौते को तदनुसार मामले में आदेश पारित करते समय याचिका के हिस्से के रूप में माना जा सकता है।हालाँकि याचिका के पैराग्राफ 14 में दावा की गई राहत, जैसा कि पहले उद्धृत किया गया है, इंगित करती है कि विशेष रूप से केवल तलाक के लिए डिक्री के लिए प्रार्थना की गई थी।इस आशय का कोई अनुरोध नहीं था कि समझौते को डिक्री का हिस्सा बनाया जा सकता है या समझौते में दिए गए नियमों और शर्तों को डिक्री में शामिल किया जा सकता है।यह देखा जा सकता

है कि याचिका का जो भी हिस्सा बनता है वह स्वचालित रूप से डिक्री का हिस्सा नहीं बन जाता है जब तक कि विशेष रूप से ऐसा प्रदान नहीं किया जाता है।डिक्री पारित करते समय ही इसे ध्यान में रखा जा सकता है।याचिका के पैराग्राफ 8 में भी यही कथन प्रतीत होता है।

इसके बाद, डिक्री के संशोधन के लिए 30 जून, 1992 के आवेदन में की गई प्रार्थना पर आते हुए, यह अलग-अलग प्रकृति के और अलग-अलग शब्दों में अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश देने के लिए है जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में उद्धृत किया गया है।पुनः, डिक्री में दिनांकित 26.7.1991 समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं है।इसलिए यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे पहले गलती से छोड़ दिया गया हो।पहले उद्धृत संशोधन के लिए आवेदन का अनुच्छेद 3, अन्य मामलों से संबंधित डिक्री पारित नहीं करने के लिए एक अलग कारण इंगित करता है।यह न्यायालय की ओर से लिपिकीय त्रुटि या आकस्मिक पर्ची के आधार पर नहीं दिखाया गया है।

हमने संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देने वाले पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित 11.11.1992 दिनांकित आदेश का भी अवलोकन किया है।यह 11 पृष्ठों का एक लंबा आदेश है जिसमें कई स्थानों पर मामले के गुण-दोष पर भी चर्चा की गई है।आदेश का अनुच्छेद 5 इस प्रकार हैः

> "अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि यद्यपि मूल याचिका में वह समझौता शामिल है जो मूल याचिका का हिस्सा था, जिसमें वैवाहिक फ्लैट के निपटारे के संबंध में पक्षों द्वारा तौर-तरीकों की शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई थी।अनजाने में उन शर्तों को डिक्री में शामिल

नहीं किया गया था और इसलिए अपीलकर्ता यह भी प्रार्थना करता है कि एक डिक्री को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।''

न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार जैसा कि प्रतिवादी-पति के मामले में ऊपर उद्धृत किया गया था कि यह अनजाने में था कि अनुबंध की शर्तों को डिक्री में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हम पाते हैं कि आदेश में संशोधन के लिए अपने आवेदन के पैराग्राफ 3 में प्रतिवादी-पति का मामला ऐसा नहीं था।जिसके अनुसार पक्षकार वकीलों की सहायता के बिना सामान्य व्यक्ति होने के नाते अपने प्रार्थना खंड में समझौते के अनुसार राहत मांगने में विफल रहे थे।नतीजतन आदेश उन राहतों पर चुप था।डिक्री के संशोधन के लिए आवेदन में अनजाने में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है जिसके कारण अदालत ने डिक्री में उन शर्तों को शामिल नहीं किया हो।यह केवल मामले में सुधार करने का प्रयास है जैसा कि प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन में किया है।पुनः हम पाते हैं कि आदेश के पैरा 16 में परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पक्षकारों द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद उनमें से कुछ को लागू और अन्य को लागू नहीं मानते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "मैं अपने फैसले के पहले के पैराग्राफ में पहले ही बता चुका हूं कि दोनों पक्षों का तलाक लेने का इरादा था और इस आशय का समझौता उन पक्षों के बीच किया गया था जो अभिवचन का हिस्सा हैं और दोनों पक्षों ने शुरू में स्वीकार किया कि यह भी डिक्री का हिस्सा होना चाहिए (जोर देने के लिए हमारे द्वारा रेखांकित)।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पक्षों द्वारा कभी भी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई थी कि समझौता डिक्री का हिस्सा होना चाहिए।विवाह के विघटन के लिए याचिका के पैराग्राफ 8 में केवल यह कहा गया था कि तदनुसार आदेश पारित करते समय

समझौते को याचिका के हिस्से के रूप में माना जाए।हम पहले ही इस फैसले के पहले भाग में मामले के इस पहलू पर जोर दे चुके हैं।इसलिए विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय में पूर्ववर्ती अनजाने में डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करना भूल गया है जो एक आकस्मिक चूक थी।यह उस मामले के खिलाफ है जैसा कि प्रतिवादी ने अपने आवेदन में इसके पैराग्राफ 3 के माध्यम से लिया था।ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय की ओर से आकस्मिक चूक के निराधार अवलोकन को रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश और अपील में मामले का निर्णय लेने वाली विद्वान खण्ड पीठ द्वारा ध्यान में रखा गया है।अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने का इरादा किया था।यह एक अलग मामला होता अगर यह दिखाया जाता कि न्यायालय उन शर्तों को शामिल करने का इरादा रखता है लेकिन गलती से यह फिसल गया या अदालत ऐसा करना भूल गई। लेकिन ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर तलाक की डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने के लिए पारिवारिक अदालत के इरादे का अनुमान लगाया जा सके, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अदालत द्वारा जो कुछ भी इरादा किया गया था वह डिक्री में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता था।दिनांकित 7.3.92 डिक्री में दिए गए कथन में दिनांकित 26.7.91 समझौते के ज्ञापन के बारे में एक फुसफुसाहट भी नहीं है।प्रतिवादी की अनिवार्य निषेधाज्ञा देने की प्रार्थना, जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में उद्धृत किया गया है, दिनांकित 7.3.1992 डिक्री के संशोधन के माध्यम से, उचित रूप से प्रदान नहीं की गई है।इस प्रकार आवेदन डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल करने के बजाय अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी था, जिसके संबंध में डिक्री के संशोधन के लिए आवेदन में कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

हम उस प्रश्न के गुण-दोष में प्रवेश करने के लिए मामले के एक पहलू का संक्षिप्त उल्लेख भी कर सकते हैं, अर्थात फ्लैट के हस्तांतरण के संबंध में, जो विवाद का मूल प्रतीत होता है, रुपये के भुगतान पर।संशोधन के लिए आवेदन में और उसके जवाब में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है।समझौता होने के चार महीने के भीतर यानी 26 नवंबर, 1991 तक भुगतान किया जाना था।इस तरह का भुगतान किए जाने पर पत्नी को पति के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित करनी थी।फरमान 7.3.1992 पर पारित किया गया है।निर्विवाद रूप से पत्नी को राशि का भुगतान नहीं किया गया है।भुगतान की कभी पेशकश की गई थी या समय पर, यदि बिल्कुल भी हो, तो पक्षकारों के बीच एक विवादित प्रश्न है जिसे इन कार्यवाही में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका संभवतः उस प्रश्न पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है जिसके कारण परिवार न्यायालय ने डिक्री में समझौते की शर्तों को शामिल नहीं किया या उस कारण से अर्थात् भुगतान नहीं किया गया होने के कारण पक्षों ने परिवार न्यायालय के समक्ष इसके बारे में चुप रहना पसंद किया होगा जब न्यायालय डिक्री पारित कर रहा था। समझौते का मुख्य हिस्सा आपसी सहमति से तलाक से संबंधित था क्योंकि दंपति के लिए एक साथ रहना असंभव हो गया था।केवल इस तथ्य का उल्लेख पारिवारिक अदालत द्वारा दिनांकित 7.3.1992 द्वारा पारित डिक्री में मिलता है।हम केवल इतना ही इंगित करना चाहते हैं कि परिवार न्यायालय के लिए डिक्री में समझौते के नियमों और शर्तों को शामिल नहीं करने के लिए अन्य संभावित कारण हो सकते हैं, या जैसा कि पति-प्रतिवादी द्वारा डिक्री के संशोधन के लिए अपने आवेदन के पैराग्राफ 3 में इंगित किया गया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में और प्रत्यर्थी-पति द्वारा अनिवार्य निषेधाज्ञा देने के लिए की गई प्रार्थनाओं को देखते हुए हमारे विचार में डिक्री के सुधार के लिए आवेदन पूरी तरह से गलत था और केवल खारिज होने के लिए उत्तरदायी था, बल्कि दिनांकित समझौते

के नियमों और शर्तों को शामिल करने के लिए जिसके संबंध में संशोधन के लिए आवेदन में या विवाह को भंग करने के लिए मूल याचिका में कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, विशेष रूप से जब आवेदन में अदालत की ओर से कोई आकस्मिक पर्ची का संकेत नहीं दिया गया था और न ही इसकी पुष्टि की गई थी।

ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय और परिवार न्यायालय द्वारा दिनांकित 11.11.1992 द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर देते हैं जो दिनांकित 7.3.1992 डिक्री के सुधार/संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देते हैं।

हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।